न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 22/2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान		01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत 02. गोपाराम पुत्र पीराराम 03. जयप्रकाश पुत्र खीवाराम 04. त्रिलोकचन्द पुत्र खीवाराम 05. दिनेश पुत्र खीवाराम 06. संतोष देवी पत्नी खीवाराम जातियान– मेघवाल, निवासीयान– बिलावास, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान।

वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 22/2022

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता वादी श्री मांगीलाल चौहान उपस्थित।

2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री संपतलाराज देवड़ा उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 07/09/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम हिंगावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नंबर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि वाके आई हुई स्थित है तथा उक्त भूमि के खातेदार गोपाराम पुत्र पीराराम, जयप्रकाश पुत्र खीवाराम, त्रिलोकचन्द पुत्र खीवाराम, दिनेश पुत्र खीवाराम त्रुटिवश लक्ष्मण पुत्र गोपाराम एवं संतोष देवी पत्नी खीवाराम के नाम से खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भुमि है। उक्त खसरा नंबर 1308 में सहवन से जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी बिलावास के स्थान पर लक्ष्मणराम पुत्र गोपाराम दर्ज कर दिया। जबकि वास्तव में लक्ष्मण राम के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाराम दर्ज करना चाहिए था। वादी का आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं राशन कार्ड भी जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मणराम के नाम से जारी सुदा है तथा लक्ष्मणराम पुत्र गोपाराम नाम का गोपाराम के कोंई पुत्र नहीं है और न ही संतान है। बल्कि जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाराम पुत्र है। जो वादी है। वादी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 (कैम्प गागुडा) में रेकार्ड दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मय अपना आधर कार्ड, पहचान पत्र एवं राशन कार्ड की प्रति तथा पटवारी हल्का हिंगावास की रिपोर्ट आदि दस्तावेज पेश किए है। इसके बावजूद भी बिना उचित कारण के धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया। बिनायदावा दिनांक 03.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में वादी का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत गागुड़ा में खारिज करने से यह वाद अंदर म्याद है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम हिंगावास में स्थित होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः अधिवक्ता मय वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर सरहद मौजा हिंगावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में वादी का 01/04 हक हिस्सा लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के नाम से रेकर्ड दुरस्त किया जाकर खातेदार–काश्तकार घोषित किए जाने की ईस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री संपतराज देवड़ा ने वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 02 से 06 ने इकबालिया जबाब दावा पेश कर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में लक्ष्मणराम के स्थान पर जगदीश प्रसाद दर्ज करने में कोई आपति नही होना अंकित किया है। जबाब प्रतिवादी संख्या 01 ने जबाब दावा पेश कर पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि ग्राम हिंगावास में स्थित होना स्वीकार कर अन्य पैराज वादी स्वयं सिद्ध करना / कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता मय वादी ने दिनांक 07.09.2022 को वादी जगदीश पीडब्ल्यू 01, गोपाराम पीडब्ल्यू 02, भवंरलाल पीडब्ल्यू 03 के बयान कलमबद्ध करवाए जाकर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए जो पत्रावली में शामिल है। अधिवक्ता वादी ने शहादतवादी हेतु मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश कर स्वयं के बयान कलमबद्ध करवाये। वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में दिनांक 03.11.22 को किये गये निर्णय की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श –1 है। जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 है। जमाबन्दी सम्वत 2059 से 62 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 है। वर्ष 2005 की प्रमाणित जमाबन्दी जमाबंदी प्रति प्रदर्श–4 है जिन्है प्रदर्शित करवाये गया। जिरह प्रतिवादी शुन्य रही।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा हिंगावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में वादी का 01/04 हक हिस्सा लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के नाम से रेकर्ड दुरस्त किया जाकर खातेदार–काश्तकार घोषित किए जाने की इस्तदुआ की है। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र जवाब दावा प्रतिवादी व प्रस्तुत दस्तावेजात वादी का आधार कार्ड पहचान पत्र, परिवार कार्ड, बैंक डायरी, जमाबंदी संवत 2059 से 2062 की प्रमाणित प्रति न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2021 मय पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति आदि दस्तावेजात एवं वादी जगदीशप्रसाद, गवाह गोपाराम व भंवरलाल के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र व बयान का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हिंगावास की रिपोर्ट में वादी का सही नाम जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम होना अंकित किया है। सह खातेदारों द्वारा भी अपने प्रस्तुत तस्दीक शुदा शपथपत्रों में जगदीश प्रसाद ही खातेदार होना अंकित किया है तथा लक्ष्मण राम का नाम त्रुटि वश अंकित होना स्वीकार किया है। वादी के अन्य दस्तावेजात में भी वादी का नाम जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम अंकित है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा हिंगावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में वादी का 01/04 हक हिस्सा लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के नाम से रेकर्ड दुरस्त किया जाकर खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा हिंगावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में वादी का 01/04 हक हिस्सा लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के

उपखण्ड अधिकारी,

नाम से रेकर्ड दुरस्त किया जाकर खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 7/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिक्री बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादी

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि– धारक) सोजत
02. गोपाराम पुत्र पीराराम
03. जयप्रकाश पुत्र खीवाराम
04. त्रिलोकचन्द पुत्र खीवाराम
05. दिनेश पुत्र खीवाराम
06. संतोष देवी पत्नी खीवाराम जातियान– मेघवाल, निवासीयान– बिलावास, तहसील– सोजत सिटी, जिला– पाली, राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 22/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री मांगीलाल चौहान तथा श्री सम्पतराज देवडा अधिवक्ता पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा हिंगावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.000 हैक्टर भूमि में वादी का 01/04 हक हिस्सा लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के नाम से रेकर्ड दुरस्त किया जाकर खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाता है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में लक्ष्मण राम पुत्र गोपाराम मेघवाल निवासी– बिलावास के स्थान पर जगदीशप्रसाद पुत्र गोपाराम जाति मेघवाल निवासी– बिलावास के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07/09/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.